22- माल की गिरवी, उधार की प्रतिभूति के लिए

सं0.....
राशि.....रु0
नाम.....
.....बैंक ने.....(जिन्हें एतद्पश्चात् उधारग्रहीता कहा जायेगा) की प्रार्थना पर.....में स्थित बैंक की पुस्तकों में.....रुपया तक का नगद प्रत्यय (Cash Credit) खाता उधारग्रहीताओं के नाम खोला है या खोलने का करार किया है, जो उस समय तक चालू रहेगा जब तक कि वह बैंक द्वारा वह बंद न किया जाय और जो कि बैंक के पास गिरवी रखे जाने वाले माल द्वारा प्रतिभूत होगा। अतः बैंक और उधारग्रहीताओं के बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है। यह कि इसकी अनुसूची में, सामान्य रूप से वर्णित माल, जो कि बैंक पहले ही परिदत्त किया जा चुका है तथा वह माल, जो कि पहले ही लिया जा चुका है.....रुपये के लिए इस प्रतिभूति के अधीन या आगे लिये जाने वाले रुपयों की प्रतिभूति के रूप में अथवा उस माल के बदले या स्थान पर, जो कि पहले ही प्रदत्त किया जा चुका है या इस प्रकार के अधीन या अन्यथा समय–समय पर प्रदत्त किया जाय, एतद्पश्चात् बैंक को प्रदत्त किया जायेगा (जिस माल को एतद्पश्चात् 'प्रतिभूति' कहा जायेगा) एतद्द्वारा बैंक के पास उस शेष धनराशि का उधार ग्रहीताओं द्वारा भुगतान के लिए प्रतिभूत के रूप में गिरवी रखा जाता है जो किसी भी समय पर या अन्ततः उक्त नकद प्रत्यय खाते के बंद होने पर, उक्त उधारग्रहीताओं द्वारा बैंक को देय हो। यह कि उधारग्रहीता इस करार–पत्र के चालू रहते हुए किसी भी माल को तत्समय इस प्रतिभूति के अधीन हो या अध्यधीन होने के लिए आशयित हो, गिरवी या अन्यथा भारित नहीं करेंगे और न कोई ऐसा कोई काम करेंगे या होने देंगे जिससे कि बैंक को दी जाने वाली प्रतिभूति प्रतिकूलतः प्रभावित हो।यह कि उधारग्रहीता बैंक की पूर्व सम्मति से समय–समय पर कोई भी माल, जो तत्समय बैंक के पास गिरवी रखा हो और प्रतिभूति का भाग हो, निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे, परन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें उक्त खाते में उस माल का अग्रिम मूल्य जमा करना होगा या उसी प्रकार का और उसी मूल्य का माल प्रतिस्थापित करना होगा, जिस प्रकार का माल उक्त अनुसूची में उल्लिखित है और जितने मूल्य का माल निकाला जाय, परन्तु यदि आवश्यक प्रत्यय–प्रतिभूति अन्तर, जो कि अपेक्षित है, बना रहता है तो उधारग्रहीता बैंक की पूर्व सम्मति से माल का अग्रिम मूल्य दिये या कोई माल प्रतिस्थापित किये बिना ही बैंक के
पास तत्समय गिरवी रखे कोई भी माल निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह कि यथोपरोक्त पहले ही या एतद्पश्चात् प्रदत्त समस्त प्रतिभूतियों का अग्नि के विरुद्ध बाजार भाव से उनके पूरे मूल्य के लिए बैंक के नाम में बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी में उधारग्रहीताओं द्वारा बीमा कराया जायेगा और समस्त बीमा–पत्र और बीमा प्रीमियम की रसीदें बैंक को दी जायेंगीं। यदि उधारग्रहीता यथोपरोक्त बीमा कराने में या बीमा–पत्र या बीमा–प्रीमियम की रसीदें देने में विफल होंगे तो बैंक उधारग्रहीताओं के परिव्यय पर ऐसा बीमा कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यह कि ऐसे किसी बीमा के अधीन मिलने वाला कुल रुपया तत्समय बैंक को देय शेष को समाप्त करने में या के लिए प्रयोग में लाया जायेगा और अधिक होने पर उसका प्रयोग इसके उपखण्डों द्वारा यथा–उपबन्धित रीति से किया जायेगा।
यह कि उधारग्रहीता प्रतिभूतियों की लागत और बाजार भाव के ऐसे विवरण बैंक को प्रस्तुत करेंगे तथा उनके समर्थन में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जैसा कि बैंक द्वारा अपेक्षित किया जाय। उधार–प्रतिभूति–अन्तर प्रतिभूतियों के खुले बाजार भाव और बैंक को तत्समय देय शेष के अनुसार निर्धारित किया जायेगा और उस अन्तर को उधारग्रहीताओं द्वारा नकद रुपया देकर या अतिरिक्त माल देकर बनाये रखा जायेगा। यह कि उधारग्रहीता बैंक के पास गिरवी रखे माल के परिमाण और श्रेणी के लिये तथा यथाउपरोक्त दिये जाने वाले विवरणों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होंगे। उधारग्रहीताओं ने बैंक को आश्वासन दिया है कि बैंक के पास गिरवी रखे गये माल के परिमाण और श्रेणी के बारे में तथा अन्य विवरण, जो भी बैंक को दिये जायेंगे, सही होंगे और बैंक ने उसी आश्वासन के आधार पर रुपया उधार देना स्वीकार किया है। यह कि इस करार–पत्र के चालू रहते हुए उधारग्रहीता प्रतिभूतियों की चोरी, अग्नि,वर्षा या किसी भी अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे। यह कि उक्त नकद प्रत्यय खाते में बैंक का प्रतिदिन जितना रुपया बाकी होगा, उस पर उसके भुगतान न होने तक.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा और वह ब्याज बैंक द्वारा मॉग की जाने पर उधारग्रहीताओं द्वारा दिया जायेगा। यह कि उधारग्रहीता उन गोदामों और स्थानों का जहॉ कि गिरवी रखा माल रखा जायेगा, कुल किराया, अधिशुल्क और कर ठीक

समय पर देंगे। यह कि बैंक द्वारा मॉगे जाने पर उधारग्रहीता उक्त नकद प्रत्यय खाते में जो रुपया बैंक का तत्समय बाकी होगा, उसका पूर्वोल्लिखित दर से ब्याज सहित भुगतान करेंगे। यह कि यदि उधारग्रहीता यथोपरोक्त उधार–प्रतिभूति अन्तर बनाये रखने में या मॉगे
जाने पर तत्समय बैंक को देय धनराशि का भुगतान न करने पर या उधारग्रहीताओं के दीवालिया हो जाने या दीवालिया निर्णित किये जाने पर या उधारग्रहीताओं की कोई सम्पत्ति, वह चाहे इस प्रतिभूति अध्यधीन हों, चाहे न हों, कुर्क किये जाने पर या उनकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग के लिए रिसीवर नियुक्त किये जाने पर, बैंक के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह अविलम्ब या तत्पश्चात् किसी भी समय उधारग्रहीताओं को कोई सूचना दिये बिना ही उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक नीलाम द्वारा या निजी संविदा द्वारा विक्रीत कर दें और ऐसे विक्रय के आगम को उस समय बैंक को देय धनराशि के परिसमापन में या के लिए प्रयोजित करें। यह कि यदि ऐसे विक्रय से प्राप्त की जाने वाली शुद्ध धनराशि, तत्समय बैंक को देय धनराशि से कम होगी तो बैंक उधारग्रहीताओं के किसी भी धन को जो बैंक के हाथ में हो या उनके नाम जमा हो, देय बकाये की पूर्ति के लिए प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक के हाथ में ऐसा कोई धन न होने पर या देय बकाये की पूर्ति में उस धन के भी अपर्याप्त होने पर उधारग्रहीता यह प्रतिज्ञा करते हैं कि बैंक द्वारा देय बकाये का लेखा प्रस्तुत किये जाने पर वे उसका अविलम्ब भुगतान करेंगे। यह कि उपरोक्त उधारों के लिए बैंक के पास गिरवी रखे माल में से किसी का अदत्त विक्रेताओं के रूप में उधारग्रहीताओं के समस्त अधिकार बैंक के प्रतिभूति के रूप में होंगे। उधारग्रहीता करार करते हैं कि वे उस लेखा–विवरण को जो बैंक की पुस्तकों से तैयार किया जायेगा और बैंक के लेखापाल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, संदर्शित बैंक को देय धनराशि की शुद्धता के निश्चायक सबूत के रूप में स्वीकार करेंगे और उसके समर्थन में किसी प्रमाणक, दस्तावेज या अन्य पत्र के प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं करेंगे। यह कि यह करार–पत्र तथा वचन–पत्र और उक्त नकद प्रत्यय खाते के सम्बन्ध में उधारग्रहीताओं द्वारा निष्पादित किये गये अन्य समस्त विलेख बैंक के प्रति प्रतिभूति के रूप में कार्यान्वित होंगे। यह कि इस प्रकार अनुदत्त अनुग्रह का लाभ न उठाये जाने पर और उधारग्रहीताओं द्वारा न्यूनतम..... .....रुपया न लिये जाने पर.....रुपये की उक्त न्यूनतम धनराशि पर नकद प्रत्यय खाता के चालू रहते हुए.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा और उधारग्रहीताओं द्वारा दिया जायेगा, चाहे वह रुपया उनके नाम पड़ा हो, चाहे न पड़ा हो। यह कि इस करार–पत्र के चालू रहते हुए उधारग्रहीता (यदि उनकी फर्म है या वे किसी फर्म के सदस्य हैं) अपनी फर्म के संघटन में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि इस करार–पत्र के अधीन उधारग्रहीताओं का या उनमें से किसी एक का या अधिक का दायित्व क्षीण या उन्मुक्त होता हो। जिसके कि प्रमाण में उधारग्रहीताओं ने आज.....सन्.....ई0 को इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची

माल का विवरण

ह0.....(प्रथम पक्ष)

ह0.....(द्वितीय पक्ष)

साक्षी–1/2